सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –05.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कॉन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 02 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्तगण 1- राजू राजपूत पुत्र राम सिंह राजपूत निवासी 2- कारी उर्फ संतोष पुत्र श्रीराम राजपूत 3- इन्दल सिंह पुत्र स्व0 जियालाल निवासीगण ग्राम धरगुँवा थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा वादी/पीडित श्री कालीचरन बसोर पुत्र स्व0 सुखवासी निवासी ग्राम धरगुँवा के साथ मारपीट कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज व जान मारने की धमकी देने की घटना में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 1789/2019 धारा 323/452/504/506/34 भादवि व 3(1)द, ध एससी एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये कल दिनांक 04.09.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पे0 एससी एसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण राजू राजपूत, कारी उर्फ संतोष, इन्दल सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 03-03 वर्ष का कारावास एवं 17,000-17,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।